पत्रांक–11/न०वि० अग्निशमन–24/2019 675 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

चैतन्य प्रसाद,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/नालन्दा/सारण/दरभंगा/गया/भोजपुर/बेगुसराय/कटिहार/मुंगेर एवं पूर्णियाँ।

नगर आयुक्त,
नगर निगम–पटना/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/बिहारशरीफ/छपरा/दरभंगा/गया/आरा/बेगुसराय/कटिहार/मुंगेर एवं पूर्णियाँ।

जिला समादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं–
पटना/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/बिहारशरीफ/छपरा/दरभंगा/गया/आरा/बेगुसराय/कटिहार/मुंगेर एवं पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक– 30.05.2019

विषय :– बिहार भवन उपविधि, 2014 के अन्तर्गत राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में अवस्थित बहुमंजिले/विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी मानकों के अनुपालन, उपकरणों के प्रतिष्ठापन एवं रख–रखाव तथा वर्षा जल संभरण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) को प्रभावी करने हेतु **विशेष अभियान** चलाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत बहुमंजिले/विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा महानिदेशक –सह– महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं, बिहार, पटना द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.05.2019 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग किया गया था। उक्त विडियो कॉन्फ्रेसिंग में विमर्शित के आलोक में विषयाधीन उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत 15 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई वाले अथवा 500 वर्गमीटर से अधिक के आच्छादित जमीनी क्षेत्रफल वाले व्यवसायिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, नर्सिंग होम, अस्पताल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल अथवा ऐसे व्यवहार वाले मिश्रित उपयोग वाले भवनों/परिसरों में अग्नि सुरक्षा की जाँच एवं वर्षा जल संभरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग तथा राज्य अग्निशमन कार्यालय द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से संयुक्त रुप से **विशेष अभियान** चलाने का निर्णय लिया गया है।

इस विशेष अभियान को चलाने हेतु राज्य में प्रभावी बिहार भवन उपविधि, 2014 तथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के संदर्भ में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं

आवास विभाग तथा महानिदेशक –सह– महासमादेष्टा, बिहार गृह राज्य वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत दिशानिदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि इस **विशेष अभियान** का ससमय संचालन एवं दिशानिदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/5/2019

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–11/न०वि०अग्निशमन–24/2019 ....675.... न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक...30.05.2019

प्रतिलिपि–महानिदेशक –सह– महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं, बिहार, पटना Email Id : dghomeguard@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/2019

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार भवन उपविधि, 2014 के अन्तर्गत राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में अवस्थित बहुमंजिले/विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी मानकों के अनुपालन, अग्नि सुरक्षा उपकरणों के प्रतिष्ठापन, रख–रखाव तथा वर्षा जल संभरण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) को प्रभावी करने हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु दिशा–निदेशः–

(A) <u>बिहार भवन उपविधि, 2014 तथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के प्रावधानों का सार –</u>

(1). बिहार भवन उपविधि, 2014 के अन्तर्गत **उपविधि–5(5)–बहुमंजिले/विशेष भवनों की भवन योजना** में प्रावधानित के अनुसार 15 मीटर या अधिक ऊँचाई वाले सभी बहुमंजिले भवनों के लिए तथा शैक्षिक, सभा, सांस्थिक, औद्योगिक, भण्डारण, दुकानदारी कम्पलेक्स तथा मल्टीप्लेक्स और हानिकारक एवं 500 वर्गमीटर से अधिक के अच्छादित जमीनी क्षेत्रफल वाले उपर्युक्त अधिभोगों में से किसी तरह के मिश्रित अधिभोग वाले विशेष भवनों के नक्शे की स्वीकृति हेतु अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित विवरण नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन के साथ संलग्न **भवन योजना** में दर्शाना अनिवार्य है। बिहार भवन उपविधि–5(6)(v) में प्रावधानित के अनुसार 15 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई वाले या 500 वर्गमीटर से अधिक जमीनी आच्छादन वाले सभी भवनों के नक्शे की स्वीकृति के लिए आवेदन के साथ बिहार अग्नि सेवा अधिनियम, 2014 के अध्याय–VI के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(2). निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अग्नि सुरक्षा उपकरणों के लगाये जाने के प्रमाण पत्र के साथ निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना के साथ **कार्य पूर्णता की सूचना (प्रमाण–पत्र)** फारम–XII में सूचीबद्ध तकनीकि व्यक्ति/भूस्वामी के द्वारा **अधिभोग प्रमाण–पत्र** (Occupancy Certificate) की प्राप्ति के लिए संबंधित नगरपालिकाओं में जमा करने का प्रावधान उपविधि–15(2)(e) तथा National Building Code 2005 (Group-1 Part-IV Fire and Life Safety-4) में उल्लेखित जीवन सुरक्षा के उपबंधों के अनुपालन का प्रावधान उपविधि–15(5) में किया गया है।

(3). **अधिभोग प्रमाण–पत्र** से संबंधित उपविधि–16(7) में प्रावधानित के अनुसार बहुमंजिला भवन (15 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले आवासीय भवन) तथा 500 वर्गमीटर से अधिक जमीनी आच्छादित वाले शैक्षिक, सभा, सांस्थिक, औद्योगिक, भंडारण और जोखिम वाले एवं मिश्रित अधिभोग जैसे विशेष भवनों के मामले में **बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014** के अध्याय–VI के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट प्राधिकार द्वारा पांच वर्षों में एक बार आवधिक निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि भवन अग्नि सुरक्षा के उपबंध उचित ढंग में हो तथा **भवन अग्नि और जीवन सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं** (अग्नि और जीवन सुरक्षा राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 का भाग–4) के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। यदि भवन अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता हो तो भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा।

(4). भवन को असुरक्षित करने से संबंधित शर्त्तों एवं इस क्रम में अपनाये जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित उपबंध बिहार भवन उपविधि, 2014 के अन्तर्गत **उपविधि–23 (असुरक्षित भवन)** में किया गया है। इसमें प्रावधानित के अनुसार किसी भवन को असुरक्षित पाये जाने, आग लगने की दशा में निकास की कोई व्यवस्था न होने पर, भवन के स्वामी या अधिभोगी को लिखित नोटिस के द्वारा त्रुटियों के निराकरण का निदेश दिया जा सकता है। प्राधिकार की राय मे जो भवन खतरनाक हो या जिसमें आग लगने की दशा में निकास की कोई व्यवस्था न हो उसके सम्बन्ध में वह कारणों को अभिलिखित करते हुए लिखित निदेश देगा कि उसे तुरत या तत्प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर खाली कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति भवन को खाली करने के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है तो प्राधिकार पुलिस की मद्द से उस व्यक्ति को भवन से हटा सकेगा।

(5). बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की अध्याय–VI के अन्तर्गत धारा–32 से 37 में **बिहार के कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए विशेष उपबंध** किए गए हैं। यथा–**धारा–32** में **बहुमंजिली भवन हेतु विशेष उपबंध, धारा–33** में **भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण, धारा–34** में **अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा हेतु उपाय, धारा–35** में **कतिपय भवनों और परिसरों के संबंध में उपबंध,** धारा–36 में **अपील** एवं धारा–37 में **अध्याय–VI के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति** से सम्बन्धित प्रावधान किये गए हैं।

(6). बिहार भवन उपविधि, 2014 के अन्तर्गत उपविधि–51 **(वर्षा जल संभरण प्रणाली)** में प्रावधानित के अनुसार सभी प्रकार के भूखण्डों में वर्षा जल संभरण की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।

सुलभ प्रसंग हेतु उपरोक्त वर्णित प्रावधानों से संबंधित अंश की प्रति इस दिशानिदेश के साथ अनुलग्नक के रुप संलग्न की जा रही है।

(B) <u>विशेष अभियान के बारे में –</u>

(7). प्रायः देखा जा रहा है कि उपरोक्त विधिक प्रावधानों के बावजूद भी बहुमंजिले/विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) उपकरणों के प्रतिष्ठापन, रख–रखाव तथा वर्षा जल संभरण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) को प्रभावी नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए **बिहार भवन उपविधि, 2014** के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों तथा **बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014** की **धारा–33** (भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण), **34** (अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा हेतु उपाय) एवं **35** (कतिपय भवनों और परिसरों के संबंध में उपबंध) में प्रावधानित के आलोक में राज्य के नगर निगम स्तरीय शहरों में अवस्थित बहुमंजिले/विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों के प्रतिष्ठापन, रख–रखाव तथा वर्षा जल संभरण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, नगर निकाय एवं अग्निशमन कार्यालय के द्वारा प्रथम चरण में सभी नगर निकाय क्षेत्रों के सभी बहुमंजिले/विशेष भवनों के संयुक्त निरीक्षण का निर्णय लिया गया है।

(8). इस विशेष अभियान के उद्देश्यों के पूर्त्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत 15 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई वाले अथवा 500 वर्गमीटर से अधिक के आच्छादित जमीनी क्षेत्रफल वाले व्यवसायिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, नर्सिंग होम, अस्पताल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल अथवा ऐसे व्यवहार वाले मिश्रित उपयोग वाले भवनों/परिसरों में अग्नि सुरक्षा की जाँच एवं वर्षा जल संभरण प्रणाली की जाँच संयुक्त निरीक्षण दल के द्वारा किया जाएगा।

निर्धारित समय सीमा के अन्दर संयुक्त निरीक्षण किये जाने तथा विषयाधीन उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु निम्न **निदेशों** का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है :–

(C) <u>अभियान पूर्व तैयारियाँ –</u>

(I). संबंधी नगर निगम एवं जिला अग्निशमन कार्यालय के द्वारा उपरोक्त वर्णित के आलोक में संयुक्त निरीक्षण के लिए भवनों की सूची तैयार किया जाएगा। इस क्रम में ऐसे भवनों/परिसरों की भी सूची तैयार की जाएगी, जिनका Ground Coverage 500 वर्गमीटर क्षेत्र से कम अथवा ज्यादा हो किन्तु जो अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से आपदा प्रवण हों, जैसे–आरा मशीन, राईस मील, ईटा भट्ठा, गैस भण्डारण आदि। उक्त सूची के आधार पर कार्य भार का आकलन करते हुए संयुक्त

निरीक्षण दल/दलों का गठन सम्बन्धित जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें समाहरणालय, नगर निगम एवं जिला अग्निशमन कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मियों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार गठित दलों को निरीक्षण हेतु क्षेत्रवार भवनों की सूची तथा इस दिशानिदेश में वर्णित निरीक्षण प्रपत्र आदि उपलब्ध कराया जाएगा।

(II). इस विशेष अभियान से सम्बन्धित सूचना का प्रचार प्रसार स्थानीय स्तर पर किया जाएगा एवं सम्बन्धित भूस्वामियों से/अधिभोगियों से इस कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया जाएगा।

(D) **<u>निरीक्षण का प्रथम चरण –</u>**

(III). संयुक्त निरीक्षण दल/दलों के द्वारा दिनांक–01.06.2019 से दिनांक–10.06.2019 तक **निरीक्षण के प्रथम चरण में** चिन्हित भवनों का निरीक्षण संलग्न **"भवनों का अग्नि सुरक्षा एवं वर्षा जल संभरण प्रणाली से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं नोटिस प्रपत्र" (प्रपत्र–I....)** के आलोक में किया जाएगा। भवन/परिसर के निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं नोटिस जाँच स्थल पर भवन/परिसर के स्वामी अथवा उनके प्रतिनिधि को तत्समय उपलब्ध कराया जाएगा। अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित प्रतिवेदन के आधार पर **बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–34** के आलोक में सम्बन्धित भवन और परिसर के स्वामी को संयुक्त निरीक्षण दल में शामिल **जिला अग्निशमन कार्यालय** के पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा इस निदेश के साथ यह नोटिस जारी किया जाएगा कि वह 15 दिनों के अन्दर नोटिस/प्रतिवेदन में यथाविनिर्दिष्ट उपायों के अनुपालन की जिम्मेवारी ले। इसी प्रकार वर्षा जल संभरण प्रणाली से सम्बन्धित प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त निरीक्षण दल में शामिल नगर निगम के पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा इस निदेश के साथ नोटिस जारी किया जाएगा कि वह 15 दिनों के अन्दर नोटिस/प्रतिवेदन में यथाविनिर्दिष्ट उपायों के अनुपालन की जिम्मेवारी ले।

(IV). निरीक्षण दल/दलों के द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त एवं जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं को उपलब्ध कराया जाएगा।

(V). निरीक्षण दल/दलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं इसके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रतिवेदनों की समीक्षा के उपरान्त समेकित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र **(प्रपत्र–II....)** में प्रत्येक दिन Email के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग एवं राज्य अग्निशमन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(E) **<u>निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसाओं एवं नोटिस का अनुपालन</u>**–निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसाओं एवं नोटिस के अनुदेशों का अनुपालन, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अन्दर सम्बन्धित भवन/परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अनुपालन नहीं होने की दशा में नियमानुसार कार्रवाई के लिए वह जिम्मेवार होंगे।

(F) **<u>निरीक्षण का द्वितीय चरण –</u>**

(VI). **निरीक्षण के द्वितीय चरण में** दिनांक–25.06.2019 से दिनांक–06.07.2019 तक संयुक्त निरीक्षण दल के द्वारा पूर्व में दिए गए नोटिस के अनुपालन की जाँच की जाएगी।

(VII). अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित प्रतिवेदन की अनुशंसाओं एवं नोटिस के ससमय अनुपालन नहीं होने की दशा में भवन को असुरक्षित घोषित करने, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–44 के आलोक में भवन अथवा परिसर को सील करने तथा अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। भवन को सील करने के वाद मात्र अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए भवन/परिसर के सिर्फ उन्हीं भाग का उपयोग किया जाएगा, जो आवश्यक हों।

(VIII). **वर्षा जल संभरण प्रणाली** से सम्बन्धित प्रतिवेदन की अनुशंसाओं एवं नोटिस के ससमय अनुपालन नहीं होने की दशा में संबंधित नगर निगम के द्वारा भवन उपविधि के प्रावधानों के उल्लंघन के आलोक में निगरानीवाद प्रारंभ किया जाएगा।

(IX). द्वितीय निरीक्षण के क्रम में की गयी कार्रवाई से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रतिदिन जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त एवं जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं को संलग्न प्रपत्र (**प्रपत्र–III**.) में उपलब्ध कराया जायेगा।

(X). निरीक्षण दल/दलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं इसके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा समेकित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र (**प्रपत्र–IV...**) में प्रत्येक दिन Email के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग एवं राज्य अग्निशमन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(G) <u>अंतिम प्रतिवेदन</u> –

(XI). उपरोक्त की गयी कार्रवाई के आलोक में अन्तिम प्रतिवेदन का प्रारूप बाद में उपलब्ध कराया जाएगा।

अनु०–यथोक्त।

30/5/19

(सुनील कुमार)
महानिदेशक सह–महासमादेष्टा,
बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं
बिहार, पटना।

30/5/2019

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

बिहार भवन उपविधि, 2014 तथा बिहार अग्निशमन सेवा, 2014 के प्रावधानों से सम्बन्धित अंश (दिशानिदेश की कंडिका–6 में संदर्भित अनुलग्नक)

बिहार भवन उपविधि के प्रावधान

उपविधि–5(5)

बहुमंजिले/विशेष भवनों की भवन योजना ।–15 मीटर या अधिक ऊचाई वाले सभी बहुमंजिले भवनों के लिए तथा शैक्षिक, सभा, सांस्थिक, औद्योगिक, भण्डारण, दुकानदारी कम्पलैक्स तथा मल्टीप्लेक्स और हानिकारक एवं 500 वर्गमीटर से अधिक के आच्छादित जमीनी क्षेत्रफल वाले उपर्युक्त अधिभोगों में से किसी तरह के मिश्रित अधिभोग वाले विशेष भवनों के लिए (4) में दिए गए मदों के अतिरिक्त, यथा उपर्युक्त, निम्नलिखित जानकारी भी भवन योजना में भी दर्शायी जाएगी –

(क) वाहनों के घुमने तथा मोटर वाहन को भवन के चारों ओर चलाने के मार्ग का ब्यौरा के साथ अग्निशमन उपकरणों/वाहनों का पहुँच मार्ग,

(ख) वालकनी, गमन मार्ग, कोरिडोर, हवादार लॉबी गमन मार्ग के साथ–साथ मुख्य और वैकल्पिक सीढ़ियों का आधार (चौड़ाई)

(ग) लिफ्ट प्रकोष्ठों की अवस्थिति एवं ब्यौरा,

(घ) अग्निशमन लिफ्ट की अवस्थिति एवं ब्यौरा

(ड़) घूम्र रोधी लॉबी/द्वार का स्थान

(च) कचड़ा प्रणाली, कचरा–कक्ष, सेवा–सुविधा वाली वाहिका (सर्विस डक्ट), आदि,

(छ) वाहनों के पार्किंग का स्थान, अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस के पार्किंग का स्थान,

(ज) अग्निशमन वाहन/एम्बुलेंस भूखंड के अन्तर्गत किस प्रकार घूमेंगे इस का ब्यौरा,

(झ) कचरा–क्षेत्र, यदि कोई हो,

(ञ) भवन सेवा सुविधाओं के ब्यौरे – वातानुकूलन प्रणाली के साथ–साथ फायर डैम्पर का स्थान, यांत्रिक संवातन प्रणाली, विद्‌भुत सेवाएं, वाष्पित्र (बायसर), गैस पाइप, आदि

(ट) अस्पतालों और विशेष जोखिम वाले भवनों/उपयोगों के लिए ढलानों (रैम्पस) की सुविधा सहित निकासों के ब्यौरा,

(ठ) जेनेरेटर, ट्रांसफार्मर और स्वीच गीयर कक्ष की अवस्थिति

(ड) धूम–निकास प्रणाली, यदि कोई हो,

(ढ़) अग्नि सचेतक प्रणाली के नेटवर्क का ब्यौरा,

(ण) अग्नि–सुरक्षा व्यवस्था के सभी अग्नि–सचेतक प्रणाली तक लोक–संशोधन प्रणाली से स्वतः जुड़े केन्द्रीकृत नियंत्रण की अवस्थिति,

(त) स्थायी पानी टंकी तथा पंप–कक्ष की अवस्थिति और आकार के साथ साथ मोबाइल पंप और पानी टंकी के लिए अग्निशमन सेवा हेतु प्रवेश मार्ग,

(थ) झारा (स्प्रिंक्लर), वेट–राइजर, होज–रील, ड्रेंचर आदि जैसे स्थिर अग्नि–सुरक्षा यंत्रों की अवस्थिति और ब्यौरा तथा

(द) प्राथमिक उपचार, अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों की अवस्थिति।

(ध) फूटिंग, तल घर, सुपर स्ट्रक्चर फ्रेमिंग मेम्बर तथा भवन एवं कमरे की उँचाई तथा सीढ़ी के ब्यौरे सहित भवन का अनुदैर्ध्य काट (लॉगिच्यूडनल क्रॉस–सेक्शन)

उपविधि–5(6)(v)

15 मीटर और इससे अधिक उँचाई वाले या 500 वर्ग मीटर से अधिक जमीनी आच्छादन वाले सभी भवनों के लिए बिहार अग्नि सेवा अधिनियम, 2014 के अध्याय–VI के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

उपविधि–15

1. **निर्माण कार्य पूर्ण होना** ।–(1) उप–विधि 8(6) में निर्दिष्ट आकार के भूखंड पर स्वंय या अन्यथा रूपांकित आवासीय भवनों के लिए भवन की पूर्णता का प्रमाण–पत्र जारी करने की अनुमति प्राधिकार पैनलित वास्तुविद/अभियंता को देगा। इस उप–विधि के उपबंधों के अनुपालन का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद/अभियंता/भू–स्वामी पर होगा।

(2) उपर (1) में उल्लेखित सहित सभी भवनों के लिए भू–स्वामी/संबद्ध पैनलित वास्तुविद/अभियंता/संरचना अभियंता फारम–XII में प्राधिकार को कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र की सूचना देगा कि अनुमोदित योजना और उप–विधि के उपबंध के अनुसार सभी दृष्टियों से भवन पूर्ण हो गया है। उक्त सूचना के साथ निम्नालिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे –

(क) पूर्ण की गई भवन योजना की तीन प्रतियां

(ख) 1000/–रु० फीस

(ग) स्वामित्व से संबंधित अधिकार अभिलेख

(घ) अनुमोदित योजना और अनुमोदन पत्र की प्रति

(ड) जहां भी लागू होता हो, नाम निर्दिष्ट प्राधिकार द्वारा अग्नि सुरक्षा उपकरणों के लगाए जाने का प्रमाण पत्र।

(च) इस आशय का साक्ष्य कि सभी जन उपयोगी सेवाओं तथा खास तौर पर मल जल निकास, जल निकास, जलापूर्ति तथा विद्युत का संयोजन मुख्य जनोपयोगी प्रणाली से कर दिया गया है।

उपविधि–15(5)

जहाँ कहीं लागू होता हो, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 (समूह–1 भाग–IV अग्नि तथा जीवन सुरक्षा में यथा उल्लेखित जीवन सुरक्षा के उपबंधों का कार्यान्वयन का अनुपालन किया जाएगा।

उपविधि–16(7)

बहुमंजिला भवन (15 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले आवासीय भवन) तथा 500 वर्गमीटर से अधिक के जमीनी आच्छादित वाले शैक्षिक, सभा, सांस्थिक, औद्योगिक, भंडारण और जोखिम वाले एवं मिश्रित अधिभोग जैसे विशेष भवनों के मामले में बिहार अग्निशाम सेवा अधिनियम 2014 के अध्याय–VI के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट प्राधिकार द्वारा पांच वर्षों में एक बार आवधिक निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि भवन अग्नि सुरक्षा के उपबंध उचित ढंग में हो तथा भवन अग्नि और जीवन सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं (अग्नि और जीवन सुरक्षा राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 का भाग–4) के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। यदि भवन अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता हो तो भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा।

उपविधि–23

असुरक्षित भवन ।–(1) सभी असुरक्षित भवनों को जन सुरक्षा के लिए खतरनाक माना जाएगा और उनकी मरम्मत कर या गिराकर या प्राधिकार द्वारा यथानिदेशित रूप में कार्रवाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा।

(2) असुरक्षित या क्षतिग्रस्त के रूप में प्रतिवेदित हरेक भवन को प्राधिकार जांच करेगा या जांच करवाएगा और ऐसी जांच का लिखित अभिलेख तैयार करेगा।

(3) जब कभी, प्राधिकार किसी भवन या उसके भाग को असुरक्षित पाता हो, तब वह ऐसे भवन के स्वामी या अधिभोगी को विधिक नोटिस की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, लिखित नोटिस देगा जिसमें उसकी त्रुटियों का उल्लेख होगा। इस नोटिस के द्वारा स्वामी या अधिभोगी से यह अपेक्षा की जाएगी कि भवन या उसके माँग की उल्लेखित समय सीमा के भीतर विनिर्दिष्ट मरम्मत या सुधार कराये या उसे तोड़ दे और हटा दें।

(4) प्राधिकार की राय में जो भवन खतरनाक हो या जिसमे आग लगने की दशा में निकास की कोई व्यवस्था न हो उसके संबंध में वह कारणों को अभिलिखित करते हुए लिखित निदेश देगा कि उसे तुरत या तत्प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर खाली कर दिया जाए।

(5) यदि कोई व्यक्ति भवन को खाली करने के आदेशों का अनुपालन नहीं करता हो तो प्राधिकार पुलिस की मदद से उस व्यक्ति को भवन से हटा सकेगा।

(6) यदि स्वामी या अधिभोगी उक्त भवन या उसके भाग की मरम्मत करने या तोड़ देने की नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता हो या उसकी अवहेलना करता हो या अनुपालन करना अस्वीकार करता हो तो प्राधिकार भवन या उसके भाग को तोड़कर या मरम्मत करवा कर या अन्यथा उस खतरा को हटवाएगा।

(7) आपातिक स्थिति में जिसमें प्राधिकार की राय में, मानव जीवन या स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरा अन्तर्गस्त हो, प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा। प्राधिकार, तुरंत या यथा संभव तत्पूर्वक नोटिस देकर, पूर्व फिटिंग (रेट्रो फिटिंग) मजबूतीकरण करके ऐसे भवन या उसके भाग को सुरक्षित बनाएगा या उसे हटा देगा। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकार ऐसी संरचना में या जिस भूमि पर वह निर्मित हो उस भूमि पर या निकटवर्ती भूमि या संरचना में यथावश्यक सहयोग एवं लागत के साथ तुरंत प्रवेश करेगा। प्राधिकार निकटवर्ती संरचना को खाली भी करा सकेगा और उपर्युक्त घेराबंदी या यथावश्यक अन्य साधनों के माध्यम से जनसामान्य का परिरक्षण करेगा।

उप उप–विधि (6) और (7) के अधीन उपगत लागत संबंधित परिसरों के स्वामी से चार्ज किया जाएगा। जिन परिसरों की बावत या जिसके हितार्थ ऐसी लागत उपगत हुई हो वहीं पर वह लागत चार्ज की जाएगी और वह विधि के अधीन यथा उपबंधित रूप में वसूलनीय होगी।

उपविधि–51

वर्षा जल संभरण प्रणाली ।–सभी प्रकार के भूखंडों में वर्षाजल संभरण की व्यवस्था करना आज्ञापक हैं। हरेक 100 वर्ग मीटर के छत क्षेत्र के लिए रिचार्ज करने के गढ़े/खंदकों का आकार न्यूनतम 6 घन मीटर का होगा। रिसन वाले गढ़ों को छोटे–छोटे कंकड़ों से या इंट की जाली से या नदी के बालू से भरा जाएगा और छेददार कंक्रीट स्लैब से ढका जाएगा। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित अपेक्षाएं वैकल्पिक है और स्थल की स्थितियों के आधार पर इनकी व्यवस्था की जाएगी।

(क) **खुली छत पर जल संग्रह** : खुली छत किसी कुंड (सम्प) या कूप से पी0वी0सी0 पाइप द्वारा फिल्टर करने वाली टंकी से जुडा होगा। उसमें बाल्ब प्रणाली लगाई जाएगी ताकि संग्राहित वर्षाजल का पहला भाग, यदि वह गंदा हो तो बाहर की ओर या मिट्टी में चला जाए। कुंड (सम्प) के निकट 0.36 वर्गमीटर की माप की फिल्टर करने वाली टंकी बनायी जाएगी। उस टंकी को छेददार स्लैब के द्वारा दो भागों में विभक्त किया जाएगा और एक भाग को छोटे–छोटे कंकड़ों से भरा जाएगा तथा दूसरे भाग में इंट की जाली लगाई जाएगी। टंकी के निचला भाग ढालू होगा ताकि पानी जमा न हो जाए।

(ख) खुला मैदानः जहां खुला मैदान हो वहां ऊपरी मिट्टी की एक परत को हटाकर नदी की बालू भर दिया जाएगा ताकि वर्षा का जल धीरे–धीरे रिसता रहे। किऐ जाने वाले प्रत्येक और हरेक निर्माण में वर्षा जल के संरक्षण एवं अपक्षरण के लिए कोई अन्य सिद्व एवं प्रभावकारी पद्वति अपनायी जा सकेगी।

बिहार अग्निशमन सेवा, 2014 के प्रावधान

अध्याय–VI

बिहार के कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए विशेष उपबंध।

32. बहुमंजिली भवन हेतु विशेष उपबंध।–इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, बहुमंजिली इमारतें इसके पश्चात्, नियत अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के उपबंधों से शासित होंगी। इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा विहित बहुमंजिली इमारतों एवं विशेष परिसरों में अग्नि निवारण उपायों के कार्यान्वयन के लिए सरकार अग्निशमन परामर्शी को पंजीकृत कर सकेगी अथवा अग्निशमन सलाहकार नियुक्त कर सकेगी;

33. भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण।–(1)नामित प्राधिकारी ऐसी ऊँचाई, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट हो, वाले किसी भवन अथवा परिसर के अधिभोगी अथवा यदि अधिभोगी न हो तो स्वामी को तीन घंटे की नोटिस के पश्चात् उसमें प्रवेश कर उक्त भवन अथवा परिसर का सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किसी भी समय, निरीक्षण कर सकेगा जहाँ ऐसा निरीक्षण/अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता अथवा उल्लंघन अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु, नामित प्राधिकारी जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में किसी समय भी किसी भवन अथवा परिसर में प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा, यदि ऐसा करना समीचीन और आवश्यक प्रतीत हो।

(2) नामित प्राधिकारी को उप–धारा (1) के अधीन निरीक्षण कार्य करने के लिए भवन अथवा परिसर के, यथास्थिति, स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

(3) जब उप–धारा (1) के अधीन किसी आदमी के निवास के लिए प्रयुक्त भवन अथवा परिसर में प्रवेश किया जाता हो तो अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक भावना का सम्यक् सम्मान किया जाएगा और किसी महिला के, जो रीति के अनुसार सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहो होती हो, वास्तविक अधिभोग वाले किसी अपार्टमेन्ट में उप–धारा (1) के अधीन प्रवेश किया जाता हो तो उसे नोटिस दी जाएगी कि वह निकल जाने के लिए स्वतंत्र है और निकल जाने के लिए उसे हर युक्तियुक्त सुविधा मुहैया करायी जाएगी।

34. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा हेतु उपाय। (1) धारा–33 के अधीन नामित प्राधिकारी भवन अथवा परिसर का निरीक्षण पूरा करने के पश्चात् अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में भवन उपविधि के उल्लंघन और व्यतिक्रम एवं ऐसे उपायों (इसमें उपबंधित भवन की ऊँचाई और ऐसे भवन और परिसर में किये जा रहे कार्यों की प्रकृति के संदर्भ में) की अपर्याप्तता के संबंध में अपनी राय अभिलिखित करेगा तथा ऐसे भवन और परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी को इस निदेश के साथ नोटिस जारी करेगा कि वह नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट उपायों की जिम्मेवारी ले।

(2) नामित प्राधिकारी धारा-33 के अधीन किये गये किसी निरीक्षण का प्रतिवेदन निदेशक को देगा।

35. कतिपय भवनों और परिसरों के संबंध में उपबंध। (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निदेशक अथवा नामित प्राधिकारी किसी भवन, जिसका निर्माण इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिन अथवा पूर्व में पूर्ण कर लिया गया हो अथवा किसी भवन, जो उस तारीख को निर्माणाधीन हो, में प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा यदि ऐसा निरीक्षण ऐसे भवनों में अग्निनिवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) निदेशक अथवा धारा-33 में दी गयी रीति से नामित प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन प्रवेश और निरीक्षण किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन भवन अथवा परिसर के निरीक्षण के पश्चात्, यथास्थिति, निदेशक अथवा नामित प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् :-

(i) भवन उपविधि के उपबंध, जिसके अनुसार उक्त भवन अथवा परिसर की योजना स्वीकृत की गयी थी;

(ii) उक्त भवन अथवा परिसर की योजना-स्वीकृति के समय स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधिरोपित शर्तें, यदि कोई हो, और

(iii) ऐसे भवन अथवा परिसर के अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, ऐसे भवन अथवा परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी को भवन अथवा परिसर में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में अपर्याप्तता का उल्लेख किया जायेगा; उक्त के संबंध में एक नोटिस जारी करेगा और स्वामी अथवा अधिभोगी को उस समय सीमा के भीतर, जिसे वह न्याय-संगत और युक्तियुक्त समझे, कथित अपर्याप्तता को सुधारने के लिए ऐसे उपायों की जिम्मेवारी लेने का निदेश देगा ।

(4) नामित प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन अपने द्वारा किये गये किसी निरीक्षण का प्रतिवेदन भी निदेशक को देगा।

36. अपील। (1) इस अध्याय के अधीन निदशक अथवा नामित प्राधिकारी द्वारा जारी नोटिस अथवा दिय गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी नोटिस अथवा ऐसे आदेश के विरूद्ध, उस नोटिस अथवा आदेश, जिसके विरूद्ध अपील किया जाना है, की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा:

परन्तु, अपीलीय प्राधिकार तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि उस अवधि के भीतर अपील दाखिल नहीं करने का पर्याप्त कारण रहा था।

(2) अपीलीय प्राधिकार के समक्ष किया जानेवाला अपील, ऐसे फारम में किया जाएगा और उसके साथ उस नोटिस अथवा आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, प्रतिलिपि और ऐसी फीस अनुलग्न होगी जो इस अधिनियम द्वारा बनाए गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

37. अध्याय VI के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति।-जो कोई इस अध्याय के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन, उसके विरूद्ध किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास की सजा से, जो छः महीने तक बढ़ायी जा सकेगी अथवा जुर्माना से, जो पचास हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा और जहाँ ऐसा अपराध जारी रहता है, वहाँ आगे जुर्माना लगाया जाएगा जो, पहले जुर्माने के बाद ऐसे अपराध जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए तीन हजार रूपये प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा।

प्रपत्र– I

भवनों की अग्नि सुरक्षा एवं वर्षा जल संभरण प्रणाली से सम्बन्धित

निरीक्षण प्रतिवेदन एवं नोटिस

(दिशानिदेश की कंडिका–8 (III) एवं (IV))

1. भवन का नाम एवं पूरा पता –
2. भूस्वामी/परिसर के स्वामी का नाम एवं पूरा पता –
3. भवन के सामने रोड/गली का नाम –
4. भवन के सामने सड़क की चौड़ाई –
5. भवन का सामने सड़क सरकारी है या निजी –
6. भवन के समीप मशहूर Land Mark का नाम तथा उसके सापेक्ष में भवन की अवस्थिति –
7. भवन/परिसर के भूखंड का क्षेत्रफल
8. भवन का Ground Floor Coverage –.....वर्गमीटर
9. भवन का व्यवहार (रेसिडेन्सियल/कॉमर्शियल/मिश्रित उपभोग) आदि :–
10. भवन की ऊँचाई एवं तल्ले की संख्या :–
11. सेट बैक :–
    आगे (दिशा .....)– मीटर, पीछे (दिशा .....)– मीटर, बगल (दिशा .....)– मीटर, बगल (दिशा .....) – मीटर
12. भवन में सीढ़ी की संख्या –
13. नक्शा स्वीकृति का विवरण (नक्शा स्वीकृति की संख्या/तिथि) –
14. भवन के पूर्ण होने का वर्ष –
15. भवन के उपर किसी प्रकार का बिजली का तार गुजरा है या नहीं (विवरणी सहित) –
16. भवन से विद्युत लाईन (ट्रांसफार्मर) की दूरी कितनी है – .....मी०
17. भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में अग्निशमन विभाग से सलाह/अनापत्ति लिया गया है या नहीं –
18. भवन में अग्निशमन उपकरणों को कंडिका–9 के सलाह के अनुरुप चिन्हित स्थानों में लगाया गया है या नहीं –
19. भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था से सम्बन्धित विवरण –

- फायर एक्सटींग्यूसर (क्रियाशील अथवा नहीं)–

तल्ला	व्यवहार	अग्निशमन यंत्र एवं की संख्या, प्रकार एवं क्षमता	अभियुक्ति

(i). बेसमेन्ट
(ii). भू–तल
(iii). प्रथम तल
(iv). द्वितीय तल
(v). तृतीय तल
(vi). .....
(vii). .....

- हौज रील (तल्लावार) –
- डाउन कमर सिस्टम (उपलब्धता एवं सक्रियता) –
- फायर एलार्म सिस्टम (उपलब्धता एवं सक्रियता) –
- ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम (उपलब्धता एवं सक्रियता) –

- स्प्रींक्लर सिस्टम (सक्रिय है अथवा नहीं) –
- अन्डर ग्राउण्ड वाटर स्टैटिक टैंक (क्षमता सहित) –
- ओभर हेड वाटर टैंक (क्षमता सहित) –
- यार्ड हाईड्रेन्ट (उपलब्धता एवं सक्रियता) –
- ओभर हेड वाटर टैंक के पास पम्प की क्षमता –
- स्मोक डिटेक्शन सिस्टम (उपलब्धता एवं सक्रियता) –
- भवन में लिफ्ट की संख्या –
- एक से अधिक लिफ्ट होने पर किसी लिफ्ट में फायर मैन स्वीच है अथवा नहीं –
- सियामिज कनेक्शन –
- क्या लिफ्ट के चारों ओर सीढी है –
- भवन में बेसमेन्ट है या नहीं –
- बेसमेन्ट में कितने रैम्प है –
- क्या बेसमेन्ट की सीढी उपर के मंजिलों तक गई है –
- भवन में सिगनेज लगा (म्गपज साईन आदि) है या नहीं –
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम –
- फायर कन्ट्रोल रुम (स्थल पर है अथवा नहीं) –
- अलटरनेट विद्युत की व्यवस्था :– जेनरेटर ..... के0वी0ए0 का ..... अदद
- वेट राईजर सिस्टम इलेक्ट्रीक पम्प की क्षमता –
- डिजल पम्प की क्षमता –
- जोकी पम्प की क्षमता –
- भवन में एयरकंडिशन की व्यवस्था है तो कैसा –
  (Split unit / Window / Centralised A.C.)
- फायर डैम्पर की व्यवस्था –
- प्रत्येक फ्लोर पर हाईड्रेन्ट भल्व की स्थिति –
- हौज बॉक्स –
- हौज बॉक्स में हौज की लम्बाई एवं संख्या –
- हौज बॉक्स में इन्टरटेनियम ब्रॉन्च नोजल के साथ –
- भवन में किसी ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ का भण्डारण –
- भवन अगर होटल श्रेणी का है तो इसमें एल०पी०जी० बैंक बना हुआ है –
- भवन में काम करने वाले/रहने वाले कर्मी अग्निशमन व्यवस्था से अवगत है या नहीं .....
  - तथा उसे चलाना जानते है या नहीं – .....
- कभी मॉक ड्रील हुआ है या नहीं – .....

20. वर्षा जल संभरण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) की व्यवस्था है अथवा नहीं .... यदि है तो कार्यरत है अथवा नहीं –.....
  - भवन के छत का क्षेत्रफल–..... वर्ग मीटर

- रिचार्जिंग पिट की क्षमता .... घन मीटर
- वर्षा जल के संग्रहरण के लिए खुली छत से सम्प तक पी०भी०सी० पाईप द्वारा जुड़ा है अथवा नहीं

21. **संयुक्त निरीक्षण दल का मंतव्य एवं अनुशंसा –**

(i). Passive Fire Protection System (कंडिका– ....) से सम्बन्धित –

(ii). Active Fire Protection System (कंडिका– ....) से सम्बन्धित –

(iii). वर्षा जल संभरण प्रणाली (कंडिका– ....) से सम्बन्धित –

(iv). अन्यान्य से सम्बन्धित –

(हस्ताक्षर/नाम एवं तिथि)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(जिला अग्निशमन कार्यालय ....
के पदाधिकारी/कर्मी)

(हस्ताक्षर/नाम एवं तिथि)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(नगर निगम ....
के पदाधिकारी/कर्मी)

(हस्ताक्षर/नाम एवं तिथि)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(जिला पदाधिकारी का कार्यालय ....
के पदाधिकारी/कर्मी)

ज्ञापांक– दिनांक–.

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी......................./ नगर आयुक्त...................../जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर/नाम एवं तिथि)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(जिला अग्निशमन कार्यालय ....
के पदाधिकारी/कर्मी)

(हस्ताक्षर/नाम एवं तिथि)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(नगर निगम ....
के पदाधिकारी/कर्मी)

(हस्ताक्षर/नाम एवं तिथि)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(जिला पदाधिकारी का कार्यालय ....
के पदाधिकारी/कर्मी)

नोटिस

(संख्या–....., दिनांक–.....)

प्रेषित,

.....,
.....,
.....,
.....,
.....,

आज दिनांक–.....2019 को भवन/परिसर (नाम एवं पुरा पता) ..... का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन (ज्ञापांक–....., दिनांक–..... प्रति संलग्न) की कंडिका–21 (संयुक्त निरीक्षण दल का मंतव्य एवं अनुशंसा) की उपकंडिका–....., जो उक्त भवन/परिसर में **Fire Protection System** से सम्बन्धित है के आलोक में एतद् द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अनुशंसाओं का अनुपालन 15 दिनों के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। संयुक्त निरीक्षण दल के द्वारा दिनांक–.....2019 से दिनांक–.....2019 के अन्तराल में इस नोटिस के अनुपालन की जाँच के लिए द्वितीय चरण का निरीक्षण किया जाएगा। इस नोटिस का अनुपालन नहीं होने की दशा में भवन को असुरक्षित घोषित करने, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–44 के आलोक में भवन अथवा परिसर को सील करने तथा अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप जिम्मेवार होंगे।

(हस्ताक्षर एवं तिथि, नाम/पदनाम)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(जिला अग्निशमन कार्यालय .....
के पदाधिकारी/कर्मी)

ज्ञापांक– दिनांक–.

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी...../ नगर आयुक्त...../जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(जिला अग्निशमन कार्यालय .....
के पदाधिकारी/कर्मी)

नोटिस

(संख्या–....., दिनांक–.....)

प्रेषित,

.....,
.....,
.....,
.....,
.....,

आज दिनांक–.....2019 को भवन/परिसर (नाम एवं पुरा पता) ..... का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन (ज्ञापांक–....., दिनांक–..... प्रति संलग्न) की कंडिका–21 (संयुक्त निरीक्षण दल का मंतव्य एवं अनुशंसा) की उपकंडिका–....., जो उक्त भवन/परिसर में **Rain Water Harvesting** से सम्बन्धित है के आलोक में एतद् द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त वर्णित अनुशंसाओं का अनुपालन 15 दिनों के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। संयुक्त निरीक्षण दल के द्वारा दिनांक–.....2019 से दिनांक–.....2019 के अन्तराल में इस नोटिस के अनुपालन की जाँच के लिए द्वितीय चरण का निरीक्षण किया जाएगा। इस नोटिस के अनुपालन नहीं पाये जाने की दशा में भवन वर्षा जल संभरण प्रणाली से सम्बन्धित प्रतिवेदन की अनुशंसाओं एवं नोटिस के ससमय अनुपालन नहीं होने की दशा में भवन उपविधि के प्रावधानों के उल्लंघन के आलोक में निगरानीवाद प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए आप जिम्मेवार होंगे।

(हस्ताक्षर एवं तिथि, नाम/पदनाम)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(नगर निगम.....
के पदाधिकारी/कर्मी)

ज्ञापांक– दिनांक–.

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी...../ नगर आयुक्त...../जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर एवं तिथि, नाम/पदनाम)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(नगर निगम.....
के पदाधिकारी/कर्मी)

प्रपत्र–II

भवनों की अग्नि सुरक्षा एवं वर्षा जल संमरण प्रणाली से सम्बन्धित
निरीक्षण प्रतिवेदन एवं नोटिस के आलोक में प्रथम चरण के निरीक्षण का समेकित दैनिक प्रतिवेदन

(दिशानिदेश की कंडिका–8(V))

दिनांक–.................... को नगर निगम–.................................... में निरीक्षित भवनों की कुल संख्या–........

निरीक्षित भवनों का नाम एवं अवस्थिति/भवन का प्रकार	भूस्वामी का नाम/पता	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या एवं तिथि	निरीक्षण के क्रम में की गयी अनुशंसाओं की कुल संख्या	अग्नि सुरक्षा से संबंधित अनुशंसाओं की कुल संख्या, भू–स्वामी को प्रेषित नोटिस की संख्या एवं तिथि	वर्षा जल संमरण प्रणाली से संबंधित अनुशंसाओं की कुल संख्या, भू–स्वामी को प्रेषित नोटिस की संख्या एवं तिथि	अभ्युक्ति

नोडल पदाधिकारी,
(जिला पदाधिकारी .... द्वारा नामित)

ज्ञापांक–..............................
दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक –सह– महासमादेष्ट, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, .../नगर आयुक्त, नगर निगम, .../जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं, ... को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नोडल पदाधिकारी,
(जिला पदाधिकारी .... द्वारा नामित)

प्रपत्र–III

द्वितीय चरण के निरीक्षण के Findings एवं इसके आधार पर कृत कार्रवाई से सम्बन्धित दैनिक प्रतिवेदन

(दिशानिदेश की कंडिका–8(IX))

दिनांक–..... को नगर निगम–..... में निरीक्षित भवनों की कुल संख्या–.....

निरीक्षित भवनों का नाम एवं अवस्थिति/भवन का प्रकार	भूस्वामी का नाम/पता	प्रथम चरण के निरीक्षण का विवरण	प्रथम निरीक्षण के क्रम में की गयी कुल अनुशंसाओं के अनुपालन के संबंध में	प्रथम चरण के अनुशंसाओं/नोटिस के अनुपालन की स्थिति तथा कृत कार्रवाई के संबंध में		अन्यान्य/अभ्युक्ति
				अग्नि सुरक्षा से संबंधित	वर्षा जल संभरण प्रणाली से संबंधित	
I	II	III	IV	V	VI	VII
		प्रथम निरीक्षण की तिथि..... निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या ..... . एवं तिथि ..... (ज्ञापांक एवं तिथि) अग्नि सुरक्षा से संबंधित नोटिस की संख्या ..... एवं तिथि .... वर्षा जल संभरण प्रणाली से संबंधित नोटिस की संख्या ..... एवं तिथि.....	अनुशंसाओं की कुल संख्या .... अनुपालित अनुशंसाओं की कुल संख्या ..... अनअनुपालित अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की कुल संख्या....., अनुपालित अनुशंसाओं की संख्या ..... अनअनुपालित अनुशंसाओं की संख्या ... . अनुपालन न होने की दशा में कृत कार्रवाई के संबंध में	अनुशंसाओं की कुल संख्या....., अनुपालित अनुशंसाओं की संख्या ..... अनअनुपालित अनुशंसाओं की संख्या ... . अनुपालन न होने की दशा में कृत कार्रवाई के संबंध में	

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(जिला अग्निशमन के पदाधिकारी/कर्मी)

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(नगर निगम के पदाधिकारी/कर्मी)

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(समाहरणालय के पदाधिकारी/कर्मी)

ज्ञापांक–..... दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक –सह– महासमादेष्ट, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, .../नगर आयुक्त, नगर निगम, .../जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं, ... को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(जिला अग्निशमन के पदाधिकारी/कर्मी)

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(नगर निगम के पदाधिकारी/कर्मी)

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य
(समाहरणालय के पदाधिकारी/कर्मी)

प्रपत्र–IV

भवनों की अग्नि सुरक्षा एवं वर्षा जल संभरण प्रणाली से सम्बन्धित द्वितीय चरण के निरीक्षण एवं कृत कार्रवाई के आधार पर समेकित दैनिक प्रतिवेदन
(दिशानिदेश की कंडिका–8(X))

दिनांक–..... को नगर निगम–..... में निरीक्षित भवनों की कुल संख्या–.....

निरीक्षित भवनों का नाम एवं अवस्थिति/भवन का प्रकार	भूस्वामी का नाम/पता	प्रथम/द्वितीय चरण के निरीक्षण की तिथि	द्वितीय निरीक्षण के उपरान्त अनुपालन की स्थिति	अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित नोटिस के अनुपालन/अनअनुपालन की स्थिति		वर्षा जल संभरण प्रणाली से सम्बन्धित नोटिस के अनुपालन/अनअनुपालन की स्थिति		अन्यान्य/अभ्युक्ति
				अनुशंसाओं के अनुपालन के संबंध में	अनअनुपालित अनुशंसाओं के बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई के संबंध में	अनुशंसाओं के अनुपालन के संबंध में	अनअनुपालित अनुशंसाओं के बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई के संबंध में	
I	II	III	IV	V		VI		VII
			प्रथम निरीक्षण के अनुशंसाओं की कुल संख्या– ..... अनुपालित अनुशंसाओं की कुल संख्या– ..... अनअनुपालित अनुशंसाओं की कुल संख्या–	प्रथम निरीक्षण के अनुशंसाओं की कुल संख्या..... अनुपालित अनुशंसाओं की संख्या ..... अनअनुपालित अनुशंसाओं की संख्या		प्रथम निरीक्षण के अनुशंसाओं की कुल संख्या..... अनुपालित अनुशंसाओं की संख्या ..... अनअनुपालित अनुशंसाओं की संख्या		

नोडल पदाधिकारी,
(जिला पदाधिकारी ..... द्वारा नामित)

ज्ञापांक–.....

दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक –सह– महासमादेष्ट, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, .../नगर आयुक्त, नगर निगम, .../जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाऐं, ... को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नोडल पदाधिकारी,
(जिला पदाधिकारी ..... द्वारा नामित)